

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 10 दिसम्बर, 2007

संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/जी0जी0एन0/एफ0एन0/सी0ए0/2007/4293.— चूंकि, राज्य सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत तथा मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य है:

इसलिए, अब पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41). की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, हरियाणा हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

नगरपालिका समिति, फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35), जिला गुडगांव के इर्द-गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1602/2007, दिनांक 21 मई, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए जो कि गांव सिवाड़ी (हदबस्त संख्या) की आयात संख्या 1 का उत्तर-पश्चिम कोना है तथा जहां जिला झज्जर तथा गुडगांव की जिला सीमा का मिलन बिन्दु है। उसके पश्चात् पूर्व की ओर जिला गुडगांव की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव सरबसीपुर (हदबस्त संख्या 36) की आयात संख्या 3 का उत्तर-पूर्व कोना है तथा जहां यह गांव मुबारिकपुर के माता बुद्धो मन्दिर के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0)/ई0डब्लू0/जी0जी0एन0/23/सी0ए0/बी/2005/1678, दिनांक 27, अक्टूबर, 2005 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ मिलती है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव मुबारिकपुर के माता बुद्धो मन्दिर के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/ई0डब्लू0/जी0जी0एन0/23/सी0ए0/बी/2005/1678, दिनांक 27, अक्टूबर, 2005 द्वारा पहले से ही घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव फारुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयात संख्या 42 का दक्षिण-पूर्व कोना है। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव मोहम्मदपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/ई0डब्लू0/जी0जी0एन0/23/सी0ए0/बी/2005/1659, दिनांक 27, अक्टूबर, 2005 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गांव फारुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयात संख्या 117 के दक्षिण पूर्व कोने तक। तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर गांव फारुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की नगरपालिका की सीमा के साथ-साथ इसी गांव की आयत संख्या 230 की दक्षिण-पूर्व सीमा तक, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव मोहम्मद पुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0)/ई0डब्लू0/जी0जी0एन0/23/सी0ए0/बी/2005/1659, दिनांक 27, अक्टूबर, 2005 द्वारा पहले से ही घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ इसी गांव की आयत संख्या 164 के उत्तर-पूर्वी कोने तक जहां यह गांव पातली हाजीपुर के राजकीय विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0सी0-94/804, दिनांक 25 जनवरी, 1994 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है। उसके बाद दक्षिण की ओर गांव पातली हाजीपुर के उच्च विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0सी0-94/804, दिनांक 25 जनवरी, 1994 द्वारा पहले से ही घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु डी तक जो कि गांव जाडोला (हदबस्त संख्या 32) की आयत संख्या 42 का दक्षिण पूर्वी कोना है तथा जहां यह गांव बावड़ा बाकीपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0सी0-94/805, दिनांक 25 जनवरी, 1994 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है।

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव बावड़ा बाकीपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0सी0-94/805, दिनांक 25 जनवरी, 1994 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गांव फैंजलपुर बादली (हदबस्त संख्या 31) की आयत संख्या 33 के दक्षिण-पूर्वी कोने तक जहां यह नगरपालिका पटौदी की सीमा के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/सी0ए0जी0 (पी0टी0डी0)/2007/1031, दिनांक 28, फरवरी, 2007 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है, उसके बाद पश्चिम की ओर नगरपालिका पटौदी की सीमा के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/सी0ए0जी0(पी0टी0डी0)/2007/1031, दिनांक 28, फरवरी, 2007 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि जिला गुडगांव तथा जिला झज्जर की जिला सीमाओं का मिलन बिन्दु है।

पश्चिम: तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से होते हुए उत्तर की ओर जिला गुडगांव की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी0एस0 डेसी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 10th December, 2007

No. CCP(NCR)/GGN/FN/CA/2007/4293.- Whereas, in the opinion of the State Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely : -

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Municipal Committee limit Farukh Nagar town (Handbast No. 35) to be read with Drawing No. D.T.P.(G)1602/2007. Dated the 21st May, 2007.

North : Starting from Point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 1 of village Siwari (Handbast number 1) and meeting points of district boundary of district Jhajjar and Gurgaon. Thence towards east along northern district boundary of district Gurgaon upto point 'B' i.e. the north-east corner of rectangle number 3 of village Sarbasi Pur (Handbast number 36) and meeting point of already declared controlled area boundary of around Mata Budho Mandir Village Mubark Pur vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification number CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1678.dated the 27th October. 2005.

East : Thence moving from point 'B' towards south along the western boundary of already declared controlled area around the Mata Budho Mandir Village Mubark Pur vide Haryana Government,Town and Country Planning Department, notification number CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1678. dated the 27th October. 2005 upto south-east corner of rectangle Number 42 of village Farukh Nagar (Hadbast number 35).Thence towards south along the western boundary of already declared controlled area around Government Primary School of Village Mohammadpur, vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification number CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1659.dated the 27th October 2005 upto south - east corner of Municipal Committeelimit of Farukh Nagar upto south-east boundary number 230 of same village.Thence towards south along the western boundary of already declared controlled area around Government Primary School of Village Mohammadpur,vide Haryana Government,Town and Country Planning Department,notification number CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1659,dated the 27th October 2005,upto north-east corner of rectangle number 164 of the same village

where it meets already declared controlled area boundary around Government High School Village Patli Hazipur, vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification number PC-94/804, dated the 25th January , 1994, published on dated 31st January, 1994, thence towards upto point 'D' i.e. south-east corner of rectangle number 42 of village Jadaula (Hadbast number 32) where it meets with boundary of already declared controlled area around Government Primary School Village Babra Bakipur vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification number PC-94/805, dated 25th January, 1994 published on dated 31st January, 1994

South : Thence moving from point 'D' towards west along the northern boundary of already declared controlled area around Government Primary School of village Babra Bakipur vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification number PC-94/805, dated the 25th January, 1994 published on dated the 31st January, 1994 upto south-east corner of rectangle number 33 of village Fazalpur Badli (Hadbast Number 31) where it meets the boundary of already declared controlled area around Municipal Committee limit of Pataudi vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification number CCP(NCR)/CAG/PTD/2007/1031, dated 28th February, 2007, thence towards west along the boundary of already declared controlled area around Municipal Committee limit of Pataudi vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification number CCP(NCR)/CAG/PTD/2007/1031, dated 28th February, 2007, upto point 'E', which is meeting point of district boundary of districts Gurgaon and Jhajjar.

West: Thence moving from point 'E' towards north along western boundary of district Gurgaon upto point 'A' i.e. the point of start.

D.S. DHESI,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.